प्रेस नोट **जनपद रामपुर** **दिनांक 12-02-2021**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, रामपुर श्री शगुन गौतम महोदय द्वारा जनपद में अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत की गई कार्यवाही-

थाना मिलकखानम:- एक अद्द नाजायज तलवार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 12-02-2021 को थाना मिलकखानम, रामपुर पुलिस द्वारा राजपाल पुत्र झंडू सिंह निवासी ग्राम भूवरा मजरा किशनपुर आर.पी थाना स्वार, रामपुर को जमनी मोड से माटखेड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक अद्द नाजायज तलवार बरामद हुई। इस संबंध में थाना मिलकखानम, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-24/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

थाना मिलकखानम :– एक अद्द नाजायज तलवार के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना खजुरिया:- कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 10-02-2021 को गुरमीत सिंह पुत्र जगीर सिंह निवासी ग्राम रूस्तमपुर थाना खजुरिया, रामपुर आदि 03 अभियुक्तगण द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था तथा कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न की गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-12/21 धारा 307,353,504 भादवि पंजीकृत हुआ था। दिनांक 11-02-2021 को थाना खजुरिया पुलिस द्वारा गुरमीत सिंह उपरोक्त को ग्राम रमपुरा चैराहा से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी तथा अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

थाना खजुरिया :– कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना पटवाई:-दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार-

अभियुक्त राजीव पुत्र प्रेमपाल निवासी कुत्तों वाली मिलक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद द्वारा थाना पटवाई क्षेत्र की रहने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस सम्बन्ध में थाना पटवाई पर मु0अ0सं0-16/21 धारा 376,506,323 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 12-02-2021 को थाना पटवाई पुलिस द्वारा अभियुक्त राजीव उपरोक्त को मुडिया खेडा बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई :–दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।

थाना स्वार-40 लीटर नाजायज शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 11-02-2021 को थाना स्वार, रामपुर पुलिस द्वारा बाबूराम पुत्र चुन्नीलाल निवासी ग्राम समोदिया थाना स्वार, रामपुर को छपर्रा रोड से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्वार, रामपुर पर मुकदमा अपराध संख्या-45/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई।